

एक नजर सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा



कानपुर (आमा) | कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी को शुक्रवार को तगड़ा ब्राटक लगा है। कानपुर की एमपीएमपीएल कर्ता ने इरफान सोलंकी को आज जनाई की ममले में सत्ता साल की सजा तुर्जाकृत है। इरफान के साथ ही उनकी माझे रिजिनाम की तीन पांच लोगों को अदालत ने दोषी माना था। सभी छह दोषियों पर 20-24 वर्ष रुपये का जुर्माना की तीव्रता दी गयी। मध्यसंघीय जेल में बैठे इरफान सोलंकी को वीडीओ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया। सजा के साथ ही इरफान की विधानसभा सदस्यता जाना तय हो गया है। इरफान कानपुर की सीसीएस सीट से विधायक है। इरफान की तीन वाली होने के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के लिये विधायक लोकसभा बैठक में वारपत्र बनवाया है। आठ सीटों के विधायक लोकसभा बैठक में वारपत्र बन चुका है। उन्होंने बोला अब वह इरफान के बैठक ने कहा कि वह हाईकोर्ट में आज बैठेंगे।

30 जून तक सड़क चौड़ीकरण पूरा कराने का निर्देश

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। जिलाधिकारी के नियन्त्रित बैठक में आप जिला विधायकों का विधायकी की अधिकारता ने कलेंट्रेट सभाग्राम में बैठक संपन्न हुई। उन्होंने बैठक में उत्तरित समस्याएँ संपर्क अधिकारियों का अवास्था दिखाया। निर्देश दिया और कानपुर की आगामी 30 जून तक सड़क चौड़ीकरण का समस्त कार्य पूर्ण कराया।

